न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 13/2018

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

श्री नरेश कुमार सिन्धी पुत्र श्री जीवतराम, निवासी–रूपपुरा रोड, बान्दनवाडा, भिनाय, जिला अजमेर। ....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः श्रीमती रेणुका चतुर्वेदी, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 27.06.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2018 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (द्वितीय) के नेतृत्व में प्रार्थी, श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) मय प्रवर्तन निरीक्षक जांच दल के अप्रार्थी के यहॉ अवैध रूप से गैस रिफलिंग की सूचना पर मौके पर पहुंच कर जांच करने पर वक्त जांच अप्रार्थी के घर से 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर तथा 1 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर तथा एक पम्प पाया गया।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	436634-S	BPC	15.7	15.7	0	Domestic
2	63624-B	BPC	15.4	15.4	0	Domestic
3	944742-S	BPC	15.1	15.1	0	Domestic
4	165030-S	BPC	15.3	15.3	0	Domestic
5	658376-S	BPC	15.5	15.5	0	Domestic
6	761332-P	BPC	16.0	16.0	0	Domestic
7	343836-S	BPC	15.8	15.8	0	Domestic
8	335382	BPC	16.5	16.5	0	Domestic
9	29051	BPC	17.2	17.2	0	Domestic
10	752966-S	BPC	15.5	15.5	0	Domestic
11	900685-S	BPC	15.5	29.7	14.2	Domestic
12	209327-T	BPC	15.5	29.7	14.2	Domestic
13	983342-S	BPC	15.5	27.4	11.9	Domestic
14	742449-S	HP	16	16	0	Domestic
15	017426-B	HP	19.4	19.4	0	Commercial

जिला कलक्टर
अजमेर

... को सुरक्षा हेतु किसी सक्षम व्यक्ति को सुपुर्दगी में दिया

घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में दुरूपयोग एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 01 अप्रमाणित सिलेण्डर तथा 01 रिफिलिंग पम्प को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर नन्द हरि भारत गैस सर्विस बान्दनवाडा के प्रोपराईटर श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री हरिलाल परिहार को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 01 अप्रमाणित सिलेण्डर तथा 01 रिफिलिंग पम्प को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं, ना ही उनके द्वारा कोई जवाब या साक्ष्य, सबूत प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 21.03.2018 को जांच दौरान अप्रार्थी के घर से 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर तथा 1 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर तथा एक पम्प पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 01 अप्रमाणित सिलेण्डर तथा 01 रिफिलिंग पम्प को राजसात फरमाया जावें।

हमनें पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित है, उनके द्वारा जरिये जवाब/दस्तावेजी साक्ष्य के भी प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन नहीं किया गया। वक्त जांच अप्रार्थी के घर से 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर तथा 1 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर तथा एक रिफलिंग पम्प बरामद किया गया। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 14 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर, 01 अप्रमाणित सिलेण्डर तथा 01 रिफिलिंग पम्प को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर
अजमेर